तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3.7.19	अधि. पक्ष उप.। प्र. व. सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 19.7.2019 को पेश हो।
19.7.19	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष अधि.उप.। वादी का वाद पत्र व प्रति.सं. 1, 2 ता 8 का काउन्टर क्लेम परस्पर सहमति के आधार पर डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर सुनाया गया शामिल रहे। खाता विभाजन स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। आदेश सुनाया गया। सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़
	23.7.19 वादी अभिभाषक की ओर से प्रा.पत्र मय संलग्न खाता विभाजन स्टाम्प शुल्क 100/- पेश किया गया। निर्णय दिनांक 19.7.2019 अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलैक्टर, हनुमानगढ़।

ब इजलास कपिल यादव आर ए एस

वाद संख्या 412/2018

चान्द खां पुत्र श्री शेरमोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वर्ष निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच वार्ड नम्बर 15 तहसील व जिला हनुमानगढ़ ––– वादी

बनाम

1– रमजान खां पुत्र श्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वर्ष निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच वार्ड नम्बर 15 तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2– हाजरा बानो पत्नि स्व. श्री हसंन खां पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच वार्ड नम्बर 15 हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3– अब्दुल हनीफ खां
4– रफीक मोहम्मद
5– बाबू खां
पुत्रगण स्व. श्री हसंन खां पुत्र शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच वार्ड नम्बर 15 हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6– गुलशन बानो पुत्री हसन खां पुत्र शेर मोहम्मद
7– नजमा बानो पुत्री हसंन खां पुत्र शेर मोहम्मद
8– शबीना बानो पुत्री हसंन खां पुत्र शेरमोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9– तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। ––– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा बाबत खाता विभाजन घोषणा

उपस्थितिः– 1– श्री राकेश दर्गन एडवोकेट वादी की और से

2– श्री विनोद पारीक एडवोकेट प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 की और से

निर्णय दिनांक :– 19.7.19

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्व खाता विभाजन व घोषणा का वाद धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि वादी, प्रतिवादी संख्या 1 एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 8 के पिता हसंनखां के नाम से चक नम्बर 15 एच एम एच खाता संख्या 153/111 पत्थर नम्बर 142/272 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 11 से 14 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टैयर एवं किला नम्बर 15,16 प्रत्येक 0.2530 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.0250 हैक्टैयर किला नम्बर 17 से 22 सालम प्रत्येक 0.2530 हैक्टैयर, किला नम्बर 23/1 = 0.1900 हैक्टैयर, किला

नम्बर 23/2 = 0.0630 हैक्टैयर गैरमुमकिन मकान, किला नम्बर 24 सालम = 0.2530 हैक्टैयर एवं किला नम्बर 25 = 0.2530 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन रास्ता 0.0250 हैक्टैयर इस प्रकार कुल 3.7950 हैक्टैयर दर्ज कागजात पटवार माल है जिसमें से 3.6570 हैक्टैयर नहरी, 0.0750 हैक्टैयर गैरमुमकिन रास्ता व 0.0630 हैक्टैयर गैरमुमकिन मकान दर्ज कागजात पटवार माल है। इस भूमि में से वादी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 8 के पिता हसंन खां का 1/3 हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी दर्ज है। हसनं खां के जीवनकाल से ही उक्त भूमि का घराघरू बटंवारा करके अलग – अलग कब्जा काश्त चली आ रही है। जिसके अनुसार वादी के कब्जा 142/272 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 11 ता 15 = 1.265 हैक्टैयर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के कब्जा में पत्थर नम्बर 142/272 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 21 ता 25 = 1.265 हैक्टैयर एवं हसंन खां पिता प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 के कब्जा में पत्थर नम्बर 142/272 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 16 ता 20 = 1.265 हैक्टैयर भूमि चली आ रही है। वर्तमान में भी इसी अनुसार कब्जा काश्त में है। इसलिए इसी अनुसार खाता विभाजन मय लगान किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने इकबालदावा मय प्रतिदावा पेश कर अपने कब्जे काश्त की भूमि पत्थर नम्बर 142/272 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 21 ता 25 = 1.265 हैक्टैयर का विभाजन चाहा इसी अनुसार प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 ने भी इकबालदावा मय प्रतिदावा पेश कर अपने पिता के नाम से अकिंत 1/3 हिस्से की हद तक घोषणा चाही एवं अपने कब्जा काश्त की भूमि पत्थर नम्बर 142/272 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 16 ता 20 = 1.265 हैक्टैयर का विभाजन चाहा। तहसीलदार राजस्व ने जवाब प्रस्तुत किया। वादी की और से प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा का जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहा।

वाद में इकबालदावा पेश होने के कारण पक्षकारान के मध्य कोई विवाद बिन्दू नहीं है। वादी ने अपनी साक्ष्य में बतौर पी डब्ल्यु 1 स्वयं के बयान करवाये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 जमाबन्दी प्रस्तुत की। इसी प्रकार से प्रतिवादीगण की साक्ष्य में डी डब्ल्यु 1 बाबू खां जो हसंन खां का पुत्र है, ने स्वयं के बयान करवाये और दस्तावेजी साक्ष्य में हसंन खां का मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिसान की तस्दीक प्रदर्श ए – 1 व प्रदर्श ए – 2 पेश किये। जिनकी फोटो प्रतियां प्रदर्श ए–1ए एवं प्रदर्श ए–2ए है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

बहस पक्षकारान सुनी गई। वकील वादी ने वाद में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए कब्जानुसार खाता विभाजन का निवेदन किया एवं इसी प्रकार वकील वादीगण ने भी प्रतिदावा में अकिंत तथ्यों को दौहराते हुए हसंनखां के नाम से अकिं 1/3 हिस्से की भूमि का अधिकारी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 को घोषित करने और मुताबिक प्रतिदावा कब्जानुसार खाता विभाजन का निवेदन किया।

हमारे द्वारा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त व घोषणा के अनुतोष वादी को प्रतिवादीगण ने इकबालदावा मय प्रतिदावा पेश कर स्वीकार किया है तथा वादी द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 द्वारा प्रस्तुत प्रतिदावा को स्वीकार किया है अर्थात परस्पर कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद व प्रतिवादीगण संख्या 1, व 2 ता 8 का प्रतिदावा डिग्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण संख्या 1, व 2 ता 8 का काऊन्टर क्लेम अन्तिम डिग्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि हसंन खां के नाम से अकिंत 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी चान्द खां के कब्जा काश्त की भूमि चक नम्बर 15 एच एम एच पत्थर नम्बर 142/272 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 11 ता 15 = 1.265 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 रमजान खां पत्थर नम्बर 142/272 किला नम्बर 21 ता 25 = 1.265 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 पत्थर नम्बर 142/272 किला नम्बर 16 ता 20 = 1.265 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन खाता विभाजन किया जाता है। खाता विभाजन का स्टाम्प दाखिल होने पर पर्चा डिग्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 19/7/19 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलैक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़।

ब ईजलास:– कपिल यादव आर ए एस

चान्द खां पुत्र श्री शेरमोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वर्ष निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच वार्ड नम्बर 15 तहसील व जिला हनुमानगढ़ ––– वादी

बनाम

1– रमजान खां पुत्र श्री शेर मोहम्मद जाति मुसलमान उम्र वर्ष निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच वार्ड नम्बर 15 तहसील व जिला हनुमानगढ़।

2– हाजरा बानो पत्नि स्व. श्री हसंन खां पुत्र शेर मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच वार्ड नम्बर 15 हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

3– अब्दुल हनीफ खां
4– रफीक मोहम्मद
5– बाबू खां
| पुत्रगण स्व. श्री हसंन खां पुत्र शेरमोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच वार्ड नम्बर 15 हनुमानगढ़ टाऊन तहसील व जिला हनुमानगढ़।

6– गुलंशन बानो पुत्री हसन खां पुत्र शेर मोहम्मद
7– नजमा बानो पुत्री हसंन खां पुत्र शेर मोहम्मद
8– शबीना बानो पुत्री हसंन खां पुत्र शेरमोहम्मद
| जाति मुसलमान निवासी ढाणी चक 15 एच एम एच तहसील व जिला हनुमानगढ़।

9– तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ़। ––– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन घोषणा

राजस्व वाद संख्या 412/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे मेरे ब हाजरी श्री राकेश दर्गन एडवोकेट अधिवक्ता – वादी व श्री विनोद पारिक एडवोकेट – प्रतिवादीगण उपस्थित होकर आदेश दिया जाता है कि वादपत्र वादी अनुतोष इस प्रकार डिग्री किया जाता है कि वादी का वाद पत्र व प्रतिवादीगण संख्या 1, व 2 ता 8 का काऊन्टर क्लेम अन्तिम डिग्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि हसंन खां के नाम से अंकित 1/3 हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 को खातेदार घोषित किया जाता है। वादी चान्द खां के कब्जा काश्त की भूमि चक नम्बर 15 एच एम एच पत्थर नम्बर 142/272 मुरब्बा नम्बर 38 किला नम्बर 11 ता 15 = 1.265 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 रमजान खां पत्थर नम्बर 142/272 किला नम्बर 21 ता 25 = 1.265 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 पत्थर नम्बर 142/272 किला नम्बर 16 ता 20 = 1.265 हैक्टैयर मय गैरमुमकिन खाता विभाजन किया जाता है। ...X....लीज.....X.....मुबलिग. ...X....बाबत X खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ...X.......से तारीख वसूलयाबी X....

बसिब्त मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 23 7/19 से जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Kapil Kumar Yadav
Date: 2019.11.23 13:16:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: